

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004212016

दांडिक प्रकरण क.-390 / 16

संस्थापित दिनांक-28.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-रामशरूप उर्फ राजेंद्र कुमार पुत्र हरप्रसाद कतिया (चिडार) उम्र 36 साल निवासी नयापुरा चंदेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

-: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 28.02.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 25बी आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रामविनायक सिकरवार ने दिनांक 18.09.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक प्र.आर. हरिसिंह के साथ कस्बा चंदेरी वीट क्षेत्र भ्रमण के दौरान नई बस्ती तिराहा पर मुखविर द्वारा सूचना मिली कि नई बस्ती में एक व्यक्ति हाथ में तलवार जैसी हथियार लिए अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। उक्त सूचना से साथी प्र. आर. एवं वहां पर उपस्थित मय साक्षी राजू एवं दीपक को अवगत कराया और साथ लिया तथा मुखविर के बताये स्थान नई बस्ती पहुंचे एक व्यक्ति हाथ में तलवार जैसी लिए दिखा जिसे साथी प्र.आर. की मदद से पकड़ा और उसके हाथ से लिये तलवारनुमा धारदार पत्ती को लिया तथा नाम पता पूछा तो उसने नाम रामस्वरूप उर्फ राजेंद्र कुमार कतिया उम्र 36 साल निवासी नयापुरा चंदेरी का बताया। उससे उक्त हथियार रखने के संबंध में वैध लायसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। आरोपी रामस्वरूप कतिया का कृत्य 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से समक्ष पंचान राजू यादव, दीपक साहू के तलवारनुमा धारदार पत्ती को जप्त कर आरोपी रामस्वरूप कतिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जप्ती चिट चिपकाई बाद गिरफ्तार आरोपी मय जप्त तलवारनुमा पत्ती मय प्र.आर. के वापस थाना आकर वापसी पर धारा 25 बी आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। फरियादी की रिपोर्ट

के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 451/2016 के अंतर्गत भा दं सं 1860 की धारा 25 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 25—बी आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 18.09.16 को समय 14.30 बजे नई बस्ती फतेहाबाद चंदेरी पर एक लोहे की धारदार तलवारनुमा हथियार को आयुध अधिनियम की धारा 24 (क) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना 6312-6552-1-बी (1) दिनांक 22.11.74 के उल्लंघन में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे हुये घूमते पाये गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रामविनायक, अ.सा. 02 राजू, अ.सा. 03 दीपक, अ.सा. 04 हरिसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 रामविनायक ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 18.09.16 को वह कस्बागश्त हेतु नया बस्ती तिराहा पहुंचा था जहां मुखविर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए हुए अपराध की नीयत से घूम रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार सूचना की तस्दीक हेतु वह साक्षीगण सहित मौके पर पहुंचा जहां पर आरोपी तलवारनुमा पत्ती लिए हुए था जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लायसेंस नहीं था। अ.सा. 02 राजू ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह नई बस्ती पर खड़ा हुआ था और वहां पर आरोपी शराब पिए हुए हाथ में तलवारनुमा लोहे की वस्तु लिए खड़ा था। अ.सा. 03 दीपक ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह नई बस्ती से गुजर रहा था तब आरोपी तलवारनुमा लंबी पत्ती पकड़ा हुआ था।

08— अ.सा. 01 के अनुसार उसने आरोपी से प्रपी 01 के अनुसार उक्त तलवारनुमा पत्ती जप्त की थी तथा आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को थाने पर लोकर उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 03 लेखबद्ध की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा रवानगी सान्हा प्रपी 04 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि मौके पर प्रपी 01 की जप्ती एवं प्रपी 02 की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी। इसी प्रकार अ.सा. 03 ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी के पास से प्रपी 01 के अनुसार तलवारनुमा पत्ती पकड़ी गई थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी कथन किया है कि आरोपी के हाथ में तलवार थी तथा दीवानजी ने आरोपी को पकड़ा था।

09— अ.सा. 04 हरिसिंह जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा विवेचना उपरांत प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल ए-01 न्यायालय में प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया गया

था।

10— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को मामले का फरियादी अ.सा. 01 कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुआ था तथा नई बस्ती पहुंचने पर मुखविर से सूचना मिली थी जिसके आधार पर आरोपी को मौके पर पहुंचकर पकड़ा था। उक्त तथ्य रवानगी सान्हा प्रपी 04 से प्रमाणित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि फरियादी के अनुसार आरोपी के कब्जे से तलवारनुमा पत्ती जप्त की गई थी। उक्त जप्ती की कार्यवाही जप्ती पत्रक प्रपी 01 के दोनों साक्षी अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 के द्वारा प्रमाणित की गई है। उक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी के कब्जे से तलवारनुमा पत्ती जप्त की गई थी। अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी के पास उक्त तलवारनुमा पत्ती रखने का कोई वैध लायसेंस नहीं था। मामले के विवेचक अ.सा. 04 की साक्ष्य के दौरान अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा तलवारनुमा पत्ती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा जिस पर आर्टिकल ए-01 के रूप में प्रदर्श भी अंकित हुआ है। अ.सा. 02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यद्यपि यह स्वीकार किया है कि आरोपी पत्ती लिए नहीं था, किंतु यह भी कहा है कि वह कुछ हाथ में लिए हुए था। इस प्रकार उपरोक्त कथन से अभियोजन की साक्ष्य में प्रमुख विरोधाभास नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला झूठा या संदेहास्पद है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को उक्त घटना स्थल पर आरोपी के आधिपत्य से एक तलवारनुमा पत्ती जप्त की गई थी जिसे रखने की आरोपी के पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को धारा 25-बी आयुध अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12. आरोपी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

13. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौरसिया का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अवैध हथियार रखा जाता है तो वह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि उस व्यक्ति को उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को 25-बी आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी द्वारा पूर्व में व्यतीत किए गए न्यायिक अभिरक्षा दंडादेश के साथ समायोजित की जावे।

15. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा तलवारनुमा पत्ती मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

17. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)